੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी. (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्र. का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
"शेयर कक्ष" ,बैंक हाऊस, प्रथम तल,
21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110 008
H.O. Accounts & Audit Department
"Shares Cell", Bank House, 1st Floor,
21, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Email:complianceofficer@psb.co.in

संदर्भ:.................................. दिनांक /Dated:...................................

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2020-21 **March 03, 2021**

To,

Bombay Stock Exchange Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Publication of Notice for Extraordinary General Meeting on 25th March 2021.

This is in continuation to our letter dated 02/03/2021wherein the Notice of the Extraordinary General Meeting had been forwarded to the stock exchanges. In this regard, Bank has also published the notice in the newspapers.

Accordingly, a copy of notice of Extraordinary General Meeting published in Financial express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper) on 03.03.2021 is forwarded for your reference.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

Authorised Signatory

जनसत्ता
03 मार्च 2021

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

वेबसाइट: www.psbindia.com

पी.एस.बी

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

नोटिस

यह हमारे समाचार-पत्र नोटिस दिनांकित 23.02.2021 के संदर्भ में है जो एमसीए (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15.06.2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28.09.2020 तथा परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31.12.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1 / सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 व एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडीर/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों के माध्यम से गुरुवार, 25 मार्च, 2021 को प्रातः 11.00 बजे निम्नांकित व्यवसायिक मदों पर विचार-विमर्श करने से संबंधित है:

मद संख्या 1 : भारत सरकार को अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना

विशेष संकल्प (ओं) के रूप में निम्नलिखित संकल्प (ओं) पर विचार करना तथा उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (जिसे इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 (जिसे इसके बाद "विनियमन" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति, यदि हो, के अधीन तथा ऐसे निबंधन, शर्तों व तत्संबंधी संशोधनों जो इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं एवं जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी जा सकती है, के अधीन तथा सेबी (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियम], सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियमन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन तथा शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन समझौते, बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन एतदद्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद 'निदेशक मंडल' कहा जाएगा) जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति शामिल होगी जिसे बोर्ड ने गठित किया है/कर सकता है, अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए सहमति दी गई है जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 164 (1) के अनुसरण में ₹ 5500/-(रुपये पाँच हजार पाँच सौ करोड़ मात्र) राशि के समतुल्य, निर्धारित ₹ 16.41 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 6.41 प्रति इक्विटी शेयर के प्रिमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर अधिमानी आधार पर ₹ 10/- के अंकित मूल्य के, अधिमानी आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 33351614868 तक के इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन के लिए इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ शामिल हैं।

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त सामान्य शेयरों के न्यूनतम निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए अधिमानी निर्गम हेतु प्रासंगिक तिथि 23.02.2021 होगी, ईजीएम की तिथि से 30 दिन पूर्व की तिथि".

आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास प्राधिकार तथा अधिकार होगा कि संकल्प में निर्गम, आबंटन तथा उसके सूचीयन और जैसा बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो, को उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा स्वीकृति के अनुसार/प्रदान करते समय आवश्यकतानुसार या भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड/ शेयर बाज़ार जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या इस प्रकार के अन्य समुचित प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित संशोधन को स्वीकार करें।

"आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले और आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयरों को अमूर्त रूप में जारी किए जाएंगे और सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक लॉक-इन के अधीन होंगे तथा इस प्रकार की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों या कोई अन्य कानून के अनुसार सभी मामलों में बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी प्रकार से समान स्तर के होंगे तथा घोषित लाभांश, यदि हो, के पात्र होंगे।

"आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलें और विषय को संपादित करे जो उसके विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और अपेक्षित हो तथा जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और आगे ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामले तथा विषय को संपादित करे, आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो सकने वाले सभी दस्तावेज़ों और विलेखों को अंतिम रूप दें तथा निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित या वांछनीय हो सकता है और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी या यह समझा जाएगा कि अंतिम रूप देने के प्रयोजन तथा आशय से शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी सहमति दी है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड यहाँ उसे प्रदत्त सभी या किसी अधिकार को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी (यों) जिन्हें वह उचित समझें, उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank
H.O.
Accounts & Audit Deptt.
(Shares Cell)
(शेयर कक्ष)
Rajendra Place, New Delhi-8

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 02 मार्च, 2021

(एस कृष्णन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ई-मतदान

- पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन समस्त शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी (एस) के पास पंजीकृत है तथा हमारे समाचार-पत्र नोटिस दिनांकित 23.02.2021 के अनुसरण में उन शेयरधारकों को भी भेजी गई है जिन्होंने हमारे आरटीए, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं। ईजीएम के विस्तृत सूचना की प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात www.psbindia.com शेयर बाज़ारों की वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com और सीएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
- शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और सहभागिता कर सकते हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना गणपूर्ति (कोरम) के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश, ईजीएम की विस्तृत सूचना में उल्लिखित है।
- इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान : शेयरधारक नोट करें कि एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा यथा संशोधित (ई-मतदान नियम) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार के प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है तथा शेयरधारक सीएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ही इस प्रक्रिया का अनुसरण करें।
- सोमवार, 22.03.2021 को प्रातः 10.00 बजे दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा बुधवार, 24.03.2021 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि अर्थात् 18 मार्च, 2021 को शेयर मूर्त अथवा अमूर्त रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद वोटिंग के लिए सीएसडीएल द्वारा ई-मतदान मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी तथा दिनांक 24.03.2021 को अपराह्न 05.00 बजे के उपरांत दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान के पश्चात, सदस्य को तत्पश्चात इसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- सदस्यों को मताधिकार, निर्दिष्ट तारीख 18.03.2021 तक बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
- निर्दिष्ट तारीख 18.03.2021 को शेयर रखने वाले शेयरधारक, ई-मतदान के लिए लॉगइन आई-डी व पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नोटिस में यथा उपलब्ध प्रक्रिया का अनुसरण करें। जिन शेयरधारकों के नाम निर्दिष्ट तारीख तक शेयरधारकों /हिताधिकार स्वामी (निक्षेपागार के पास अनुरक्षित) के रजिस्टर में पंजीकृत है, केवल वे ही दूरस्थ ई-मतदान/ईजीएम में ई-मतदान सुविधा के लिए पात्र होंगे।
- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 के उपखंड (2 ई) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त तदनुरुपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयर के संबंध में, बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
- ई-मतदान नियमों के अनुसार, केवल उन शेयरधारक को मतदान की अनुमति होगी जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है। दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पश्चात भी शेयरधारक ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें ईजीएम में पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी।
- शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तिथि को शेयर भौतिक रूप में है तथा/या जिन्होंने हमारे नोटिस दिनांकित 23.02.2021 के अनुसरण में बैंक/ डिपॉजिटरी सहभागी (यों)/आरटीए के पास अपने ईमेल-पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि ईजीएम में दूरस्थ ई-मतदान या ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए बैंक वेबसाइट अर्थात् www.psbindia.com पर उपलब्ध ईजीएम सूचना के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।
- भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को www.delhi@linkintime.co.in पर अपने ई-मेल पते पंजीकृत करें और डीमेट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि इसके लिए अपने निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें।
- अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, को भी तुरंत परिणाम अग्रेषित किए जाएंगे।
- यदि आपको ई-मतदान प्रणाली से ईजीएम में भाग लेने व ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) व ई-मतदान मैनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि किसी अन्य जानकारी/ प्रक्रिया के लिए ईजीएम के विस्तृत सूचना का अवलोकन करें।

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank
H.O.
Accounts & Audit Deptt.
(Shares Cell)
(शेयर कक्ष)
Rajendra Place, New Delhi-8

FINANCIAL EXPRESS

03. MARCH 2021

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21 Rajendra Place, New Delhi-110 008

Website: www.psbindia.com

Where service is a way of life

NOTICE

This has reference to our newspaper notice dated 23.02.2021 regarding Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Thursday, the 25th day of March**, 2021 at 11.00 a.m. in accordance with Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, to transact the following Special business:

Agenda Item No. 1: Issue of Equity Shares on Preferential Basis to Government of India

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolutions(s) as Special Resolution(s):

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "**Regulations**") and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**SEBI (ICDR) Regulations**], SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations 2015 (**SEBI (LODR) Regulations**), as amended from time to time and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**Board**") which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot up to 3351614868 Equity Shares to the President of India (Government of India) on preferential basis, of the face value of Rs. 10/- each on preferential basis at a issue price of Rs.16.41 per Equity Share (including premium of Rs.6.41 per equity share) determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations as amended from time to time amounting to Rs.5500 Crore (Rupees Five Thousand Five Hundred Crore only)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for the preferential issue, for determination of minimum price of the issue of the above mentioned equity shares shall be 23.02.2021, being the date 30 days prior to the date of EGM."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities & Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under "SEBI (ICDR) Regulations" and shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines or any other law that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

For PUNJAB & SIND BANK

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank
H.O.
Accounts & Audit Deptt.
(Shares Cell)
(शेयर कक्ष)
Rajendra Place, New Delhi-8

Place: New Delhi **(S Krishnan)**
Date: 02 March, 2021 **MD & CEO**

E-VOTING

- In compliance of the aforesaid guidelines, electronic copies of the notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s) and also to those shareholders who have got their email addresses registered with our RTA, M/s Link Intime India Private Limited, pursuant to our newspaper publication dated 23.02.2021. A copy of the detailed notice of the EGM is available on the website of the Bank i.e. www.psbindia.com, the website of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com.
- Shareholders can join and participate in the EGM through VC / OAVM facility only. Shareholders participating through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. The instructions for participating in the EGM through VC / OAVM are set forth in the detailed notice.
- Voting through Electronic Means: Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (E-voting Rules) read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by CDSL and the shareholders may follow the procedure for the same as detailed in the Notice available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.
- The remote e-voting period begins on Monday, 22nd March, 2021 at 10.00 a.m. and ends on Wednesday, 24th March 2021, at 5 p.m. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 18th March 2021, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM, 24th March 2021. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 18th March, 2021.
- The shareholders holding shares as on the cut-off date i.e. 18th March 2021, may follow the procedure as provided in the notice for obtaining the Login id and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of shareholders / Beneficial owners (maintained with the depositories) as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the EGM.
- In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- If any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- In terms of e-voting rules, only those shareholders, who are present in the EGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the EGM.
- Shareholders holding shares in physical form as on cut-off date and / or those who have not registered their email ids with the Bank / Depository Participant(s) / RTA pursuant to our notice dated 23.02.2021, are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the notice of the EGM available on the website of the Bank i.e. www.psbindia.com
- Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Link Intime India Private Limited at delhi@linkintime.co.in and those shareholders who are holding shares in demat form and have not registered / updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
- The results declared, alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.psbindia.com and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the equity shares of the Bank are listed.
- If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr.Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr.Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr.Rakesh Dalvi (022-23058542).

  All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr.Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.
- Shareholders are requested to refer the detailed notice of the EGM for any other information / procedure.

CERTIFIED TRUE COPY

Punjab & Sind Bank H.O. Accounts & Audit Deptt. (Shares Cell) (शेयर कक्ष) Rajendra Place, New Delhi-8